पत्रांक–BF^2–1023/13 – 522

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

प्रेषक,

मणिभूषण प्रसाद
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अरूण कुमार, पार्टनर
मेसर्स रत्नाकर होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर
c/o- बबीता कुमारी, नियर इलाइट स्कूल,
आदर्श नगर, ईष्ट राम कुष्णा नगर,
पटना पिन–800027

पटना, दिनांकः– 20-7-16

विषयः–मेसर्स रत्नाकर होम्स इन्फास्ट्रक्चर नामक फर्म से संबंधित प्रविष्टियों की सच्ची प्रति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन के प्रसंग में मेसर्स रत्नाकर होम्स इन्फस्ट्रक्चर (नि० सं०–77/2016) नामक फर्म की Register of Firm में की गई प्रविष्टियों की सच्ची प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/07/16

(मणिभूषण प्रसाद)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner

FORM-A

See Rule-5

1. Serial number of the firm- 77 /2016
2. Name of the firm - M/s Ratnakar Homes Infrastruture
3. Duration of the firm - At will
4. Date of Registration - 17.05.2016
5. Name and address of the partner s and change there in.

S. no	Name	Address	Date of joining	Date of ceasing	Remarks
1.	Mr. Arun kumar	Nalanda colony, Kankarbagh Patna-800020	12.12.2015		
2.	Mr. Sanjeev Kumar	Elite School, Adrash Nagar, East Ram Krishna Nagar, Pantn-800027	12.12.2015		

6. Principal place of business and changes there in

   C/o- Babita kumari, Near Elite school

   Adarsh Nagar, East Ram Krishna Nagar, Patna-800027

7. I State U/s 58 of I.P Act 1932 certified to be a true copy.

FOR REGISTAR OF Firm

Scanned with CamScanner



RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

SCANNED

176 13/1/06 36500/- 4 04DD 452652

13 JAN 2006

बिहार सरकार
अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर

दिनांक **05/05/2006** को श्री/श्रीमती **Virendra Kumar Singh** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० **40294/-** मुद्रांक शुल्क एवं रु० **6044/-** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राहय पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्त्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं । इसे दस्तावेज सं0 **1889** के रूप में पुस्तक सं0 **1** की जिल्द सं0 **CD 10** में आज निबंधित एवं कुल 396 से 406 पृष्टों में संधारित किया गया ।

Vol. 159

(Nilesh Kumar)

Date : 05/05/2006 **निबंधन पदाधिकारी**

बैंक Scroll एवं चलान की बैंक प्रति से जांचा ।

1.नाम लेख्यकारी:– **श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा**

पिता का नाम स्वर्गीय नन्द किशोर सहाय

...d dead of Sale, read & ...stood the contents of documents. Received full payment for debit in the document Virendra Kumar Singh



05AA 671411

13 JAN 2006

(2)

सिन्हा निवास स्थान बी0 एम0 दास रोड. , थाना पीरबहोर , पत्रालय बॉकीपुर , जिला पटना। भारतीय नागरिक।

2.नाम लेख्यधारिणी– ***श्रीमती चमेली देवी*** धर्मपत्नी श्री विनय कुमार निवास स्थान ग्राम मुंगिला , थाना पालीगंज पत्रालय शंकरपुर इमामगंज , जिला पटना। भारतीय नागरिक।

3.लेख्य प्रकारः– निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला वय ला कलार्मी (DEED OF ABSOLUTE SALE)



176 13/1/06 36520/- 001811

(3)

4.मूल्यांकन:— मो0 2,37,500/— दो सैंतीस हजार पांच सौ रूपया मात्र बिकी मूल्य लकिन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य मो0 49,500/— उनचास हजार पांच सौ रूपया प्रति डिसमल के दर से मो0 2,61,000/— दो लाख एकसठ हजार रूपया का मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का भूगतान किया जा रहा है।

5.सम्पति का सम्पूर्ण विवरण — मवाजी (2295 वर्गफीट) दो हजार दो सौ पनचानवे वर्गफीट यानि मवाजी 5.268 डि0 एराजी परती



INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

001143

क्रम संख्या 176 13/1/06 36500/- 4

क्रेता का नाम एवं पता चमेली देवी

13/1/06

(4)

आवासीय , हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा धनौत , परगना फुलवारी , थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर , सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाके है। जिसकी तौजी सख्या 5139 (पांच हजार एक सौ उनचालिस) , थाना संख्या 20 (बीस) , खाता संख्या 317 (तीन सौ सतरह) एवं 102 (एक सौ दो) सर्वे खसरा संख्या 2459 (दो हजार चार सौ उनसठ) एवं 2460 (दो हजार चार सौ साठ) का अंश भाग जिसे जगदेव सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 पटना द्वारा खण्डित करके समिति भूखण्ड

Birendra Kumar Jain 5/5/06

4000

संख्या , ब्लौक J/2 , सब प्लौट न0 11 , के रूप में कमांकित किया गया है जिसका अंश जानिब पश्चिम से बिकी हो रहा है। जिसकी सालाना लगान मो0 1/– रूपया अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर ,पटना।

Binda Kumar Jha
05/05/06

चौ ह द् दी		मा प
उतरः–	समिति भूखण्ड संख्या 12	उतरः– 45 फीट
दक्षिणः–	समिति रोड.	दक्षिणः–45 फीट
पूरबः–	पार्ट प्लौट न0 2459 एवं 2460 , समिति भूखण्ड संख्या 11 का अंश निज लेख्यकारी	पूरबः– 51 फीट
पश्चिमः–	समिति रोड.	पश्चिमः–51 फीट

यह कि उपरोक्त सम्पति आवासीय एवं सहायक रोड. पर स्थित है तथा सम्पति बिहार सरकार के खास महाल से बाहर है।

यह कि लेख्यकारी ने उपरोक्त सम्पति की बिकी हेतू शहरी सम्पति भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26 (1) के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी पटना के समक्ष विहित प्रपत्र पर दिनांक 12.10-2005 ई0 को सूचना दाखिल किये है। जिसका कमांक 8/4798 सन् 2005 ई0 है। जिसमे साठ दिनों से अधिक की अवधि समाप्त हो चूकी है और आजतक उपरोक्त सम्पति के अधिग्रहण या सूचना पत्र के अस्वीकृति की कोई सूचना लेख्यकारी को नहीं दी गयी है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) के अनुसार स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्पति को लेख्यकारी द्वारा हस्तांतरण करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

सं द र्भ

यह कि लेख्यकारी जगदेव सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 पटना के विधिसंगत सदस्य हैं तथा उक्त समिति ने अपने आवास योजना के अन्तर्गत समिति भूखण्ड संख्या 11 ब्लौक J/2 बएराजी मवाजी 4335 वर्गफीट का आबंटन बनाम लेख्यकारी के के किया था एवं इसी संदर्भ में समिति के तत्कालीन सचिव श्री श्रीपाल सिंह पिता का नाम स्वर्गीय गोपी चन्द सिंह वो उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह निवास स्थान बेली रोड. , जगदेव पथ , जिला पटना ने एक किता वशिका केवाला वय ला कलामी मरकुमा तारीख 30–3–1990 ई0 को बनाम लेख्यकारी के निष्पादित किया। जिसका पुस्तक संख्या 1 निबंधन संख्या 2618 सन् 1990 ई0 निबंधन कार्यालय सोनपुर वाके है। वो तारीख आबंटन एवं निबंधन के दिन से लेकर आजतक लेख्यकारी उपरोक्त सम्पति पर बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति को अपने उपयोग वो उपभोग मे लाते रहे है वो लेख्यकारी का नाम बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 2598 में दर्ज पाया गया है।

यह कि लेख्यकारी को अपने मकान के मरम्मत तथा पुर्ननिर्माण एवं अन्य खर्च जरूरी के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जबतक लेख्यकारी उपरोक्त सम्पति की बिक्री नहीं करते हैं तबतक लेख्यकारी के वास्ते रूपयों का प्रबंध करना वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है। इसलिये लेख्यकारी ने उपरोक्त सम्पति के बिक्री करने के लिये आम एलान एवं प्रचार तथा घोषणा किये एवं चन्द लोगो से करवाये लेकिन,अन्य कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सम्पति की किमत लेख्यधारी से अधिक देने को तैयार नहीं थे। जिसके कारण लेख्यकारी ने उपरोक्त समस्त जमीन की बिक्री लेख्यधारी के साथ करने के लिये तैयार हो गये तथा लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के बीच उपरोक्त सम्पति के बिक्री की सारी बातें तय एवं निश्चित हुयी। लेख्यधारी द्वारा लेख्यकारी को उपरोक्त सम्पति के बदले दी जाने वाली राशि अन्य सभी क्रेताओं से अधिक एवं बाजार भाव के अनुरूप है।

अतएव लेख्यकारी ने बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पुर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित मूल्य मो0 2,37,500/– (दो लाख सैंतीस हजार पांच सौ रूपया) मे बदस्त लेख्यधारिणी खाना न0 2 को बेचा वो बैय ला कलामी किया। वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया।

मूल्य के कुल रूपयो को लेख्यकारी ने अपने खरीदार पक्ष से निम्नलिखीत रूप से वसुल वो वेवाक पाया।

बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट न0	दिनांक	मूल्य
भारतीय स्टेट बैंक APS Campus, Tambarm, Branch Madras	417854	13–01–2005	50,000/–
वही	115469	02–01–2006	40,000/–
वही	225470	02–01–2006	40,000/–
वही	225471	02–01–2006	40,000/–
		नगद	67,500/–
		कुल––	2,37,500/–

इस प्रकार उपरोक्त सभी बैंक ड्राफ्ट के भूगतान के पश्चात लेख्यकारी के उपरोक्त सम्पति का कुल मूल्य राशि खरीदार पक्ष के यहॉ से वसुल वो वेवाक हुआ। अब लेख्यकारी का एक नया पैसा भी उपरोक्त सम्पति का क्रेता पक्ष के यहां बाकी न रहा वो न कभी होगा।

खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयो के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कार्रवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये और विश्वास दिलाये है कि खाने न0 5 मे वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी से पुर्णतः मुक्त वो पाक साफ हैं। वो आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सम्बंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार प्रक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी

हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पडे. उसे लेख्यकारी से या उनके उत्तराधिकारी से या उनके अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें । (समाप्त)

लेख्यधारिणी का हस्ताक्षर
धमेली देवी

Birendra Kumar Jain
5/5/06



प्रारूपकर्ता
रवीन्द्र कुमार
5/5/06
[illegible]
[illegible]

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. **23a**
Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. **22024**
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs **18270**

Fee Paid

A1	**5220**	I	**0**	K2	**0**	Na	**54**	Scan	**220**
A8	**0**	J1	**0**	Li	**0**				
A9	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**	LLR	**500**		
A10	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**	Proc.	**50**		
E	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**				

Tot Reg Fee **6044**

Date : 5/5

Registering Officer

Endorsement under section 52

Presented for registration at on the day , 5/5/06 at th
Danapur D. R. O/ Sub_Registry Office by **Virendra Kumar Singh**
son/wife of **Late Nand Kishor Shaya** by profession **Agriculture.**
(Executant or attorney for ....., one of the executants or claimants un
a power no. ..... for 20..... authenticated by sub-registrar of
.....)

Signature of Presentant 5/5/06

Registering Officer

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photgraphs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument.

Date : 5/5

Registering Officer

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book **1** of DSRO/ SRO **Danapur** having **11 page** in the volume **CD10** and document no. of which is printed on the first page of the document.

Date : 5/5

Registering Officer

COURT FEE
FIVE RUPEES

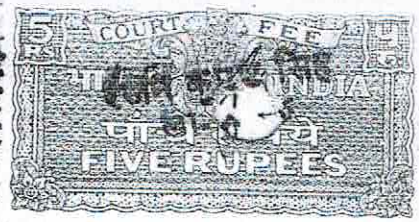

14 फारम सं० 562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

त्रक ता० ..... तक

..... सन् 200 - 200

प्रकार दा० खा० वाद सं० 1135 सन् 06-07

...ी क्रम ...र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	ओदश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
8-06	श्री मती चमेली देवी पिता/पति श्री विनय कुमार ग्राम० मुंगिला थाना पालीगंज जिला पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन-पत्र दिया है, जिसे वसीका सं० 1889 दिनांक 5-5-06 द्वारा इन्होंने श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा वल्द श्री स्व० नन्द किशोर सुलभ सिन्हा ग्राम० बी० एमदाबाद थाना पीरपंथी जिला पटना से क्रय किया है।	

जमीन का विवरण

मौजा	थाना सं०	तौजी सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
चमौत	20		317	2459	2292
			102	2460	[illegible]

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 14/8/06 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी

14/8/06 रा०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बंध में स्थानीय तौर पर और राजस्व अभिलेखों से जाँच कराई गई। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन

(1) रैयती है।

(2) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(3) [illegible] के नाम से आरोप है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	(4) यह जमीन गैर मजरूआ आम एवं खास नहीं है। यह जमीन भूदबन्दी के अर्न्तगत नहीं है। मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 21/8/06 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी	
21/8/06	मूल जामाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिश/आम ईश्तहार का तामिला प्राप्त है। तामिला प्रतिवेदन रेखा। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल-कब्जा में है। अतः सूचना/ए० कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँ प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/उत्तराधिकारी/दान-पत्र/बिक्रय-पत्र दाखिल खारीज करने की ..... दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापति एवं संशोधित अंचल अधिकारी दानापुर अंचल अधिकारी	

5 COURT FEE 5 Rs. पाँच रुपये FIVE RUPEES

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर- 1135 साल - 06-07 हल्का नम्बर 8 अंचल - दानापुर

ग्राम - धनौत राजस्व थाना नम्बर - 20 जिला - पटना

मु० में जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - क्रय

जरशमन - केवाल - 1889 तिथि - 05-05-06

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
विरेन्द्र कुमार सिंह पति - स्वा० नन्द किशोर सहाय, बी० एन० दास राउ - पटना	317 102	2459 2460	4335 वर्गफीट	4.00
बचा हुआ रकबा				
तदैव	77	77	2040 वर्गफीट	2.00

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्रीमती चमेली देवी पति - श्री विनय कुमार सा० मुंगिला थाना - पालीगंज जिला - पटना	317 102	2459 2460	2295 वर्गफीट	2.00

जमाबंदी नम्बर 2598

अ० अ०

आवेदिका के आवेदनपत्र का जाँच किया। वहिका एवं पंजी II से मिलान किया सही पाया। पंजी II में विक्रेता का नाम दर्ज है। जमीन क्रेता के कब्जा कब्जा में है। जमीन रैयती है। गैर० आम, मालिक एवं खास नहीं है। मुद्दान मुद्दवंडी से मुक्त है। अन्तः आम महाल पर सूचना निर्गत का अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जा सकती है।

मनोज
[illegible]

20 no

नौपन सही पाया। कनाप्रि के उपरांत हाट 20 की स्वीकृति दी जा सकती है।

[illegible]

CNO 1446 78-12-06

अखिलेश 5/11/11

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

नाम शोभा पिता/~~पति~~ अशोक कुमार

ग्राम पोस्ट - खटाँगी थाना कुर्था जिला अरवल

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा एकड़	रकवा डि०
मौजा - धनौत थाना - दानापुर अंचल - दानापुर जिला - पटना थाना सं० - 20 जमाबंदी न० 2599	5139	317 एवं 102	2459 एवं 2460	3400 Sq. Ft.	

अं० अ० महोदय

आवेदिका के नाम से मौजा धनौत थाना न० 20 में खाता सं० 317 वो 102 खेसरा सं० - 2459 वो 2460 रकवा 3400 वर्गफीट भूमि की रसीद जमाबंदी सं० - 2599 पर कटती है। भूमि रैयती है, तथा और आम वो मालिक भू-दान वो भूहदबंद से मुक्त है। भूमि कब्जे में है। रसीद वर्ष 2011-12 तक कटी हुई है। शपथ पत्र सं० - 1579, दिनांक 28/09/11 की मूल प्रति आवेदन में संलग्न है।

अं० अ०
अधिकृत राजस्व कर्मचारी
नहीं है

आवेदक का हस्ताक्षर
Shobha Kumar
30/09/2011

कार्यालय का मुहर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **0759204636**
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
इकाई:- **पटना एम कारपोरेशन**	मौजा :- **धनौत**
जमाबंदी सं0:- **2599** भाग वर्तमान:- **18** पृष्ठ संख्या:- **30348**	मौजा/थाना सं0:- **20**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **SHOUMYA ROY** अभिभावक का नाम:- **ASHOK KUMAR**	पता:- **B N DAS ROAD PATNA ,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
317,102	2459,2460	0 एकड़ 7.805 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	20.00	10.00	0.00	30.00	2017-2018 से 2019-2020
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	29.00	14.50	0.00	50.00	2017-2018 से 2019-2020
कुल	24.50	49.00	24.50	0.00	80.00	2017-2018 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	20.00	10.00	30.00	2017-2018 से 2019-2020	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	14.50	50.00	2017-2018 से 2019-2020	
कुल	49.00	24.50	80.00	2017-2018 से 2019-2020	

कुल बकाया-80.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees

तिथि- **01-08-201**

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Print

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **0959146390**
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
हल्का:- **पटना एम कारपोरेशन**	मौजा :- **धनौत**
जमाबंदी सं0:- **6348** भाग वर्तमान:- **34** पृष्ठ संख्या:- **20299**	मौजा/थाना सं0:- **20**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **चमेली देवी** अभिभावक का नाम:- **विनय कुमार**	पता:- **MUNGILA PALIGANJ ,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
317, 102	2459,2460	0 एकड़ 5.268 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	100.00	10.00	0.00	110.00	2009-2010 से 2019-2020
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	145.00	14.50	0.00	160.00	2009-2010 से 2019-2020
कुल	24.50	245.00	24.50	0.00	270.00	2009-2010 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	100.00	10.00	110.00	2009-2010 से 2019-2020	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	145.00	14.50	160.00	2009-2010 से 2019-2020	
कुल	245.00	24.50	270.00	2009-2010 से 2019-2020	

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Two Hundred Seventy Rupees
कुल बकाया-270.00

तिथि- **20-04-2019**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Print